तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/02/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/02/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर	
26/2/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29/02/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर	
29/02/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक बहस प्रार्थी-" ग्राम केरू के ख.सं. 812 में 26 बीघा भूमि पर प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा संवत 2012 से आज दिन तक लगातार है। वर्ष 2014 में पटवारी द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी गई। जो. वि. प्रा. द्वारा ख.सं. 812 में विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटित की गई है- GPCL, पुलिस चौकी केरू, गौशाला आदि। अतः प्रा. पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे में दखलअंदाजी ना करें।" मुताबिक बहस अप्रार्थी सं. 02-" ख.सं. 812 शुरू से राजकीय खाते में गै. मु. भारकर के रूप में दर्ज थी। वर्ष 2012 में उक्त भूमि की खातेदारी जो. वि. प्रा. के नाम दर्ज हुई। वादी ने बाद वर्ष 2014 में पेश किया और जान-बूझ कर जो. वि. प्रा. को पक्षकार नहीं बनाया। विवादित भूमि जो. वि. प्रा. के योजना क्षेत्र की भूमि है, जिसमें खातेदारी नहीं दी जा सकती। जो. वि. प्रा. की भूमि पर कृषि नियमन का प्रावधान नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त बहस, तथ्यों, दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण समुचित कानूनी कार्यवाही अपनाए बिना प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल नहीं करें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर (Seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर — सत्यमेव जयते)	